710
11/12/12

खण्ड-8 संख्या-23

दशम
बिहार विधान-सभा

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग-2 कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित)

मंगलवार तिथि 28 जुलाई, 1992 ई0।

सत्यमेव जयते

विविध चर्चाएँ

श्री ब्रजकिशोर ना0 सिंह :- महोदय, मैं जानना चाहूँगा कि यह गृह आरक्षी विभाग में कब ट्रांसफर हुआ, सरकार बतायें?

(व्यवधान)

श्री रमेन्द्र कुमार :- राजो बाबू आपको मालूम होना चाहिये कि कम्युनिस्ट पार्टी जब कांग्रेस का समर्थन कर रही थी तब भी उचित सलाह दिया करती थी और आज भी जनता दल को उचित सलाह ही देती है।

श्री राजो सिंह :- अभी तक का जो लक्षण दिखायी देता था उससे लगता था कि उचित सलाह नहीं दिया करते थे।

श्री ब्रजकिशोर ना0 सिंह :- महोदय, आखिर इस ध्यानाकर्षण का जवाब कब होगा?

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा :- इसका जवाब दे देगें। शुक्रवार को जवाब दे देगें।

अध्यक्ष :- हर हाल में इसी सत्र में इसका जवाब होगा। शुक्रवार को इसका जवाब होगा।

अत्यावश्यक लोक महत्व के विषयों पर ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार की ओर से वक्तव्य।

अध्यक्ष :- सूचना पढ़ी हुई समझी जाय।

अत्यावश्यक लोक महत्व के विषयों पर ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार का वक्तव्य

(क) आरक्षी अधीक्षक धनबाद के विरूद्ध आरोपः

श्री लालचंद महतो:- महोदय,श्री अशोक कुमार गुप्ता, आरक्षी अधीक्षक, धनबाद के कार्यकाल में नये माफियाओं का उदय हुआ है वहीं इन्होंने अपराधियों को संरक्षण देकर लाखों रुपये की काली कमाई की है। अशोक कुमार गुप्ता, एस०पी०, धनबाद ने अपनी पत्नी के नाम से 10 लाख रुपये में जमीन लेकर पटना-दानापुर बेली रोड, रघुनाथपुर पेट्रोल पम्प के बगल में 40 लाख की लागत से दो मंजिला भवन का निर्माण करवाया है इसमें 10 लाख रुपये की जमीन ली गयी है। एस०पी० गुप्ताा की काली कमाई का यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि बिना लोन लिये यह मकान बनाया है। इस मकान में धनबाद पुलिस केन्द्र के 12 सिपाहियों को इस भवन में मजदूर के रूप में काम करवाया जा रहा है और 5 सिपाहियों को भवन की देख-रेख के लिये रखा गया है। सरकार इन सिपाहियों को तनख्वाह देती है और एस०पी० इनसे अपनी बेगारी करवा रहे हैं और अपने पड का दुरुपयोग कर रहे हैं। एस०पी० अशोक कुमार गुप्ता ने एक मारुती कार नं०- बी०बार० -1 बी० 751 कोयला माफिया नर्मदेश्वर सिंह से लिया है वह मारुती कार एस० पी० श्रीगुप्ता ने सी०बी०आई० कार्यालय, पटना के पीछे अपने आई०पी०एस० फ्लैट में रखा है। यह फ्लैट इन्होंने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है।

अतः इन सारे मामलों की जांच हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा :- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री लालचंद महतो, श्री रमेश प्रसाद यादव एवं श्री महेन्द्र सिंह द्वारा आरक्षी अधीक्षक, धनबाद,

श्री अशोक कुमार गुप्ता के कार्यकाल में माफिया के उदय, अपराधियों को संरक्षण.......

(व्यवधान)

श्री राजो सिंह :- अध्यक्ष महोदय, यह माफिया शब्द किस डिक्शनरी में हैं। इसका क्या अर्थ है? मंत्री महोदय बतायें कि किस डिक्शनरी में माफिया शब्द है और उसका क्या अर्थ होता है?

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा :- जो कड़ा आदमी होता है, भारी भरकम होता है उसे ही माफिया कहा जाता है।

अध्यक्ष :- कभी-कभी जो शब्द डिक्शनरी में नहीं रहता है वैसा शबद प्रचलित हो जाता है जैसे शब्द स्कैन है। यह डिक्सनरी में कहीं नहीं है। जैसे हमलोग इस्तेमाल करते हैं बायकॉट । यह एक आदमी का नाम था तो वायकोट चलता है। इसलिये माफिया शब्द प्रचलित है इस्तेमाल होता आ रहा है, ऐसे मामले में ।

श्री राम जतन सिन्हा :- ऐसे शब्द का इस्तेमाल आसन और सरकार को नहीं करना चाहिये।

अध्यक्ष :- माननीय मंत्री आप यह कह सकते हैं कि कोयला का नाजाय धंधा करने वाला।

अत्यावश्यक लोक महत्व के विषयों पर ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार का वक्तव्य

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा :- महोदय, माफिया प्रचलित है और यह अन-पार्लियामेंटरी नहीं है।

श्री रमेन्द्र कुमार :- महोदय, तत्कालीन मुख्यमंत्री, श्री बिन्देश्वरी दूबे ने अपने बजट भाषण में यह लिखा कि कोयला माफिया का सफाया कर दिया जायगा। और आज प्रो० राम जतन सिन्हा जी बोल रहे हैं कि "माफिया" शब्द का विरोध किया था।

श्री जगदीश शर्मा :- महोदय, इस ध्यानाकषण का जवाब माननीय सदस्य नही होने देना चाहते हैं। इसलिये सब लोग व्यवधान कर रहे हैं। मंत्री से जवाब पढ़वाया जाये।

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा :- महोदय, माननीय सदस्य श्री लाल चंद महतो, श्री रमेश प्रसाद यादव एवं श्री महेन्द्र सिंह द्वारा आरक्षी अधक्षक, धनबाद श्री अशोक कुमार गुप्ता के कार्याकाल में माफिया के उदय, अपराधियों को संरक्षण, लाखों रुपये की अवैध कंमाई, पत्नी के नाम से पटना बेली रोड पर दस लाख रुपये की जमीन की खरीद तथा उस पर लाखों रुपये की लागत से बनने वाले दो मंजिले घर एवं इस गृह निर्माण में धनबाद जिला में आरक्षियों को नाजायज रूप से लगाये जाने एवं कोयला माफिया, श्री नर्मदेश्वर सिंह से मारुति कार संख्या बी०आर० 751 की प्राप्ति की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है।

इस संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि आरक्षी अधीक्षक, धनबाद, श्री गुप्ता

से इस संबंध में प्रतिक्रिया प्राप्त की गयी है। उनसे प्राप्त प्रतिक्रिया से स्पष्ट होता है कि माननीय सदस्यों द्वारा लगाये गये आरोप निराधार हैं। उन्होंने कोयला माफिया एवं अन्य अभियुक्तों के सिरूद्ध समय -समय पर कड़ी कार्रवाई की है। जहाँ वर्ष 90 में कोयला तस्कर के कुल 76 कांड प्रतिवेदित हुये थे एवं 244 व्यक्तियों के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित कियेगये थे, वहीं उनकेकार्यकाल में वर्ष 1991 में कोयला तस्करी के कुल 80 कांड प्रतिवेदित हुए एवं 255 व्यक्तियों के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किये गये। वर्ष 1992 में 15 जुलाई तक ऐसे 68 कांड प्रतिवेदित हुये एवं 250 व्यक्तियों के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किये गये। इसी प्रकार लोहा तस्करों के विरूद्ध भी उन्होंने अपने समय में सघन अभियान चलाया है। जहां तब पटना में घर बनाने का प्रश्न है, यह जमीन एवं घर श्रीगुप्ता के नाम से है न कि उनकी पत्नी के नाम से । जमीन क्रय की स्वीकृति उन्हें सरकार द्वारा प्राप्त है। वित्त विभाग के ज्ञापांक- 6878 दिनांक 8.11.90 द्वारा जमीन के कम करने एवं उस पर घर बनाने हेतु उन्हें 3 लाख 25 हजार रुपये की राशि की स्वीकृति प्राप्त हुयी थी। यह राशि उन्हें किस्तों में प्राप्त हुयी है। इसी राशि के एक अंश से नवशक्ति गृह निर्माण समिति से उन्होंने मौजा जलालपुर, खाता नं०- 26, प्लॉट नं०- 4 में तीन कट्ठा तीन धूर एवं 28 धूर जमीन का कम वर्ष 1990 में की थी। इसकी भी औपचारिक स्वीकृति वित्त विभाग द्वारा पत्र संख्या 3225 दिनांक 26.9.91 द्वारा दी गयी थी। उन्होंने जमीन कम एवं भवन निर्माण में पटना सिटी स्थिति अपनी पैत्रिक संपत्ति में से भी खर्च किया है। उनकी पैत्रिक संपत्ति पटना सिटी में है जिसमें स्थानीय आनन्द टाकीज

सिनेमा एवं घर है। उनके निर्माणधीन मकान का प्लींथ एरिया 1800 वर्गफट है, जिसमें दो मंजिला मकान बन रहा है। अब तक केवल ईंटों की जोड़ाई एवं छतों की ढलाई ही हुई है और मकान अभी अर्ध निर्मित ही हैं।

जहाँ तक धनबाद के आरक्षियों काइस अन्य निर्माणमें दूरूपयोग करने का प्रश्न है यह भी सही नहीं प्रतीत होता हैं। निर्माण कार्य ठीकेदार एवं राजमिस्त्री से कराये गये हैं।

जहाँ तक कोयला माफिया की नर्मदेश्वर सिंह से मारुति कार लेने का प्रश्न है यह आरोप भी निराधार है। श्री नर्मदेश्वर सिंह एवं अन्य कुछ कोयला माफियाओं के विरूद्ध उन्होंने अपने नेतृत्व में दिनांक 21/22-6-1992 को गोविन्दपुर निरसा / थाना क्षेत्र में छापामारी कराई थी। श्री नर्मदेश्वर सिंह के विरूद्ध गोविन्दपुर ााना कांड संख्या 155/92 दिनांक 22.6.92 ा अंकित किया गया है। इसके अतिरिक्त श्री सिंह के विरूद्ध निरसा थाना कांड संख्या 375/90 में आरोप पत्र संख्या 203 /91 दिनांक 31.8.91 भी समर्पित किया गया है। इसी प्रकार श्री सिंह के विरूद्ध निरसा थाना कांड संख्या 175 /91 में भी दिनांक 31.3.1992 को आरोप समर्पित किया गया है। इस प्रकार श्री नर्मदेश्वर सिंह से उनका मधुर संबंध होना प्रमाणित नहीं होता है।

जहाँ तक पटना स्थित सी०बी०आई० कार्यालय के पीछे उनके आवास में मारुति कार रहने का प्रश्न है, इस आवास में उनका परिवार एवं बच्चे

रहते हैं। इस आवास में उनकी अपनी उजली मारुति कार जिसका निबंधन संख्या - बी०आर० -1/ए-0315 है, रहती है जिसका उपयोग उनके परिवार के सदस्य करते हैं। इस कार का कम उन्होंने वर्ष 1990 में ही पटना के एकजीबशन रोड स्थित मारुति कार के अधिकृत विक्रेता से की थी । इसका निबंधन दिनांक 19.4.90 को जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना द्वारा किया गया था। इस कार को उन्होंने एक लाख सात हजार रुपये में खरीदा था जिसमें चालीस हजार रुपया पुराने कार संख्या-डब्लू. एम. सी. -800 के बेचने से प्राप्त हुआ था। पुरानी कार को बेचने की अनुमति सरकार से प्राप्त हुई थी तथा वित्त विभाग से उन्हें 45 हजार रुपये ऋण भी प्राप्त हु थी । भविष्य निधि से भी कुछ राशि निकाल कर उनहोंने उक्त मानिरीक्षक के सहायक (कल्याण) थे, तब आवंटित किया गया था। बच्चों की शिक्षा-दीक्षा, पटना में ही जारी रखने के लिए उन्होंने पुलिस निदेशालय से अनुमति लेकर इस बावास को अपने पास रखी है। इन बातों से स्पष्ट है कि धनबाद के आरक्षी अधीक्षक, श्री अशोक कुमार गुप्ता पर लगाए गए आरोपों का कोई ठोस आधार नहीं है।

श्री लाल चंद महतो :- अध्यक्ष महोदय, मेरे पास उस मकान का फोटो है जो आपके सामने दिखला रहा हूँ । मेरा चार्ज है कि यह मकान 3 लाख में नहीं, बल्कि 40 लाख रुपये में बना हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ और मांग करता हूँ कि इस मकान में टोटल कितनी राशि खर्च्र हु है और उसकी जाँच सरकार करायेगी?

श्री उपेन्द प्रसाद वर्मा :- अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि मकान बनाने और

मकान के लिए ऋण की स्वीकृति प्राप्त है।

श्री लालचंद महतो :- अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि यह मकान 3 लाख में नहीं बल्कि 40 लाख रुपये की लागत से बना हुआ है, क्या सरकार इन आरोपों की जांच करवाना चाहती है?

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा :- महोदय, आरोपों का आधार हो, तब न जांच कराई जाएगी। नियमानुसार ध्यानाकर्षण पर जिनका दस्तखत है, वे पूछें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जो संचिका है वह आपके पास दे देता हूँ और जो आरोप है वह भी आपको दे देता हूँ और आपके सभा कक्ष में बात हो जाए तो आज ही इसको कर ली जाए।

श्री लालचंद महतो :- अध्यक्ष महोदय, मेरा चैलेंज है, यह मकान 3 लाख में नहीं बल्कि 40 लाख में बना है।

अध्यक्ष :- सरकार तो इसका खंडन करती है।

श्री लालचंद महतो :- अध्यक्ष महोदय, मेरा चैलेंज है वह मकान 40 लाख रुपये का है, इसकी जांच सरकार करायेगी?

अध्यक्ष :- माननीय मंत्री ने कहा कि वह संचिका मेरे पास भेज देगें और मैं आपको बुला कर तथा और लोगों को भी बुला कर इसकी जांच कर ली जाएगी।

श्री लालचंद महतो :- अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक प्रश्न का जवाब नहीं हुआ। मैंने चैलेंज किया है कि 3 लाख रुपये से नहीं बल्कि 40 लाख रुपये की लागत से यह मकान बना है। क्या सरकार इसकी जांच करायेगी या नहीं?

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा :- महोदय, मैंने स्पष्ट कहा कि आप देख लीजिए और आपका जो नियमन होगा उसको हम मानेंगे।

श्री रमेन्द्र कुमार :- अध्यक्ष महोदय, मेरी सूचना यह है कि श्री गुप्ता बेतिया में जब एस०पी० थे और..............

अध्यक्ष :- माननीय सदस्य, कल आप ही की तजबीज थी कि ध्यानाकर्षण को कम से कम वक्त में चलाया जाए और ध्यानाकर्षण जो देने वाले हैं उनके अलावे कोई पूरक प्रश्न नहीं पूछेंगे।

श्री रमेन्द्र कुमार :- अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को सूचना देना चाहता हूँ, मैं सरकार को सूचित कर रहा हूँ.............

(व्यवधान)

अध्यक्ष :- शांति, शांति।

श्री महेन्द्र प्रसाद सिंह :- अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो जवाब दिया है कि वे 1800 वर्ग फुट में मकान निर्मित कर रहे हैं जिसके लिए वित्त विभाग से 3 लाख रुपये का ऋण लिए हैं।

—

अध्यक्ष महोदय, सरकार के जवाब से ही यह बात स्पष्ट है कि मकान का जो क्षेत्रफल है और उसके लिए अवैध राशि का जो इंतजाम किये हैं और मकान का जो वास्तविक खर्च है उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। यही चीज आरोप की सत्यता को प्रमाणित करता है। अगर सरकार सचमुच में इन आरोपों की सफाई देना चाहती है तो मैं मांग करता हूँ कि सरकार सदन की समिति बना कर इसकी जाँच कराये कि जो वास्तविक आय है और वास्तविक खर्च जो है, इसी बात की जांच समिति करेगी।

श्री लालचंद महतो :- अध्यक्ष महोदय, मेरे पूरक प्रश्न का जवाब सरकार नहीं दे रही है। मैं चैलेंज करता हूँ कि 3 लाख में नहीं बल्कि वह मकान 40 लाख रुपये की लागत का है सरकार इसकी जांच कराये?

(ख) कनहर जलाशय योजना का कार्यान्वयनः

श्री चन्द्रशेखर दूबे :- पलामू एवं गढ़वा राज्य का अत्यन्त पिछड़ा जिला है। यहां सिंचाई की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। किसानों को वर्षा पर ही पूर्णरूपेण आश्रित रहना पड़ता है। तथा अपर्याप्त वर्षा के कारण उन्हें हर वर्ष सुखाड़ का सामना करना पड़ता है। किसानों की स्थिति बदतर होती जा रही है। भूखमरी के शिकार लोग अपराधकर्मों में लिप्त होने के लिए विवश हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में गढ़वा जिलान्तर्गत कनहर जलाशय योजना का शीघ्र कार्यान्वयन लि के विकास एवं किसानों के व्यापकहित में है तथा इससे पलामू एवं गढ़वा के हजारों एकड़ जमीन सिंचित हो सकेंगे, परन्तु खेद का विषय है कि किसानों के हित को अनदेख कर ऐसे